



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी0 सी0 12 वी, विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ

169981

03-12-15

संदर्भ संख्या . /सी-1/एन0ओ0सी/जी-1015/2015.

दिनांक

सेवा में,

मैसर्स यूटिलिटी स्टेट्स प्रा० लि०,  
जी-७६, प्रीती विहार, विकास मार्ग,  
देहली-११००६२

विषय : मैसर्स यूटिलिटी स्टेट्स प्रा० लि०, ग्राम शाहपुर बम्हेटा, परगना डासना, तहसील व  
जिला-गाजियाबाद पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से ग्रुप हाउसिंग परियोजना की स्थापना हेतु  
अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गमन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक-16/02/2015 का संदर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया तथा कृपया अवगत हों कि उद्योग को पर्यावरण प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है।

1. अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है :-

(क) परियोजना स्थल:- मैसर्स यूटिलिटी इस्टेट्स प्रा० लि०, खसरा नं० 2243, 2244, 2246, 2247, 2375, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2185, 2388, 2396, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2406, 2407, 2410, 2411, 2422, शाहपुर बम्हेटा, परगना, डासना, गाजियाबाद द्वारा भूखण्ड क्षेत्रफल ७७६५१, बिल्टअप एरिया १८०८१३.२२ वर्ग मीटर पर ग्रुप हाउसिंग परियोजना का निर्माण का कार्य किया जाये।

(ख) परियोजना का : भूखण्ड क्षेत्रफल 77651 वर्ग मी०,

विवरण:- बिल्टअप एरिया 180813.22 वर्ग मीटर पर

ग्रुप हाउसिंग परियोजना निर्माण किया जायेगा।

(ग) मुख्य कच्चे माल :- बिल्डिंग मैटेरियल, आदि

(घ) औद्योगिक उत्प्रेषण की मात्रा:- शून्य

घरेलू उत्प्रेषण की मात्रा:- 1348 कि० ली०/दिन

(ङ) प्रयुक्त ईंधन :- डी० जी० सेट हेतु डीजल आवश्यकतानुसार

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

- 2- उद्योग में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रेषण शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरंतर प्रेषित करें।
- 3- उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई ने उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाये। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरुद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का परीक्षण सुनियोजित किया जाये।

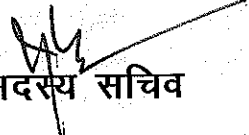
मैसर्स यूटिलिटी स्टेट्स प्रा० लि०, ग्राम शाहपुर बम्हेटा, परगना डासना, तहसील व  
जिला-गाजियाबाद

- 5- घरेलू उत्प्रेषण, जिसकी मात्रा 1348 के० एल० डी० से अधिक नहीं होगी। प्रस्तावानुसार एस० टी०पी० के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको के अनुरूप निस्तारित किया जाये।
- 6- प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण संयंत्र तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिए दिये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय में 30.12.2015 तक अवश्य प्रस्तुत की जाये।
- 7- मैसर्स यूटिलिटी इस्टेट्स प्रा० लि०, खसरा नं० 2243, 2244, 2246, 2247, 2375, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2388, 2396, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2406, 2407, 2410, 2411, 2422, शाहपुर बम्हेटा, परगना, डासना, गाजियाबाद द्वारा भूखण्ड क्षेत्रफल ७७६५१ बिल्टअप एरिया १,८०,८१३.२२ वर्ग मीटर पर ग्रुप हाउसिंग परियोजना का निर्माण का कार्य किया जाये। निर्माण कार्य में भूगर्भ जल का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
- 8- संस्था द्वारा प्रस्तावानुसार जनित उत्प्रेषण के शुद्धिकरण हेतु १६०० कि० ली०/दिन क्षमता का एस० टी० स्थापित किया जाये।
- 9- संस्था द्वारा शुद्धिकरण व्यवस्थाओं हेतु अलग से डी०जी० सेट स्थापित करें तथा उक्त हेतु अलग से विद्युत मीटर स्थापित करें।
- १०- सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट एम० एस० डब्लू रूल्स २००० के प्राविधानों के अनुसार किया जाये।
- ११- म्युनिसीपल अथॉरिटी द्वारा बायोडिग्रेडिबल वेस्ट के निस्तारण हेतु सुविधा स्थापित न किये जाने की स्थिति में संस्था द्वारा उक्त का निस्तारण परिसर के अन्दर वर्मीकम्पोस्टिंग/बायोकम्पोस्टिंग के द्वारा किया जाये।
- १२- समस्त प्रस्तावित डी०जी०सेट पर ध्वनि रोधक व्यवस्थाओं के साथ साथ प्रस्तावानुसार चिमनी भी स्थापित की जायें।
- १३- संस्था प्रस्तावानुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था स्थापित करें।
- १४- केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण, जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार से भूगर्भ जल दोहन हेतु आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये।
- १५- यह अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता पाँच वर्ष या बैंक गारण्टी की वैधता तिथि से एक वर्ष कम जो पूर्व हो मान्य होगी।
- १६- संस्था को निर्गत बैंक गारण्टी पत्रांक- एफ-६६८५७/सी-१/एन०ओ०सी०-जी-१०२५/२०१५ दिनांक ७/०६/२०१५ का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करें, अनुपालन न करने की दशा में संस्था द्वारा प्रेषित बैंक गारण्टी बोर्ड के पक्ष में अवमुक्त की जा सकती है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं संस्था के जिम्मेदार पदाधिकारियों की होगी।



कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवम् सामान्य शर्तों का प्रभावी एवम् संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया जाय। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के संबंध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में 30.12.2015 तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाए। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाए अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जाएगी।

भवदीय,

  
सदस्य सचिव

पृष्ठांक सं०

/ एन०ओ०सी०

तददिनांक :

प्रतिलिपि :

1. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद।

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
(वृत्त-1)

अग्रवाल/-